कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला आगर मालवा (म.प्र.)

(संयुक्त जिला कार्यालय, जिला आगर मालवा म.प्र.)
e-mail – ddhorti.agar@gmail.com (07362) 258249

क्रं/उद्यान/2020–21/ 2015 आगर मालवा, दिनांक 23/11/2020

प्रति,

जिला जनसम्पर्क अधिकारी
जिला आगर मालवा

विषयः– आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएम एफएमई स्कीम) में रिसोर्स पर्सन के लिए प्रेस विज्ञप्ति बाबत्।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएम एफएमई स्कीम) के अन्तर्गत माईक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों को सुविधा दिए जाने हेतु रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर के रुप में) चयन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाना है तथा जिले की वेबसाईड पर अपलोड की जाना है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति प्रमुख/दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने एवं जिले की वेबसाईड पर अपलोड करवाने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः– प्रेस विज्ञप्ति।

23/11/2020

उप संचालक उद्यान
जिला–आगर मालवा

पृ.क्रं/उद्यान/2020–21/ 2016 आगर मालवा, दिनांक 23/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. **आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।**
2. **कलेक्टर, जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ।**
3. **संयुक्त संचालक उद्यान, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।**
4. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आगर मालवा की ओर सूचनार्थ।**
5. **जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

23/11/2020

उप संचालक उद्यान
जिला–आगर मालवा

प्रेस विज्ञप्ति

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम एफएमई स्कीम) के अन्तर्गत माईक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों को सुविधा दिए जाने हेतु रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर के रूप में) चयन हेतु सूचना

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 5–3/2020/58 भोपाल, दिनांक 3/10/2020 पत्र द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएम एफएमई स्कीम) अन्तर्गत योजना के दिशा–निर्देशानुसार जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है। संदर्भित पत्र द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के दिशा–निर्देश की कंडिका क्रमांक 9.3.8 के अनुसार जिला/क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हैण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर के रूप में) चयन किया जाना है। उक्त के संबंध में निम्नानुसार योग्यता एवं कार्य निर्धारित है।

क.	जिला रिसोर्स पर्सन हेतु योग्यताएं	रिसोर्स पर्सन के कार्य
01	1. ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री। 2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का 3–5 वर्ष का अनुभव। 3. यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, बैंकिंग/डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चयन किया जा सकता है।	1. रिसोर्स पर्सन, एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योगों आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाईसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैंड–होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। 2. प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वीकृति के 20,000/– रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। 50 प्रतिशत भुगतान बैंक ऋण की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्प्लीमैंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।

आवेदन की प्रारंभिक तिथिः– 25/11/2020.
आवेदन की अंतिम तिथिः– 5/12/2020

नोटः–आवेदन मय दस्तावेजों के कार्यालय उप संचालक उद्यान, जिला आगर मालवा कक्ष क्रमांक 216 संयुक्त, जिला कार्यालय भवन सारंगपुर रोड़ समय 11 बजे से 5 बजे तक ऑफलाईन स्वीकार किये जायेगें।

कलेक्टर
अध्यक्ष
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग
उन्नयन योजना समिति

?Aadesh\letter PM FME Scheme?